



International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 4, July 2023



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 6.551

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के आदिवासियों का योगदान

Arvind Sulania

Assistant Professor, Dept. of History, Dr.Bhimrao Ambedkar Govt. College, Sri Ganganagar, Rajasthan, India

सार

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जहां भील और अन्य जनजातियों ने अंग्रेजों के साथ लंबे समय तक संघर्ष किया, 17 नवंबर, 1913 को श्री गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1.5 लाख से अधिक भीलों ने मानगढ़ हिल पर रैली की। इस सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाईं, जिससे मानगढ़ नरसंहार हुआ जहां लगभग 1500 आदिवासी शहीद हुए।

परिचय

भारतीय इतिहासकारों ने सन् 1857 की क्रान्ति को स्वतंत्रता संग्राम का पहला आन्दोलन बताया है। हकीकत में सन् 1857 से 100 साल पहले आदिवासियों ने स्वतंत्रता आन्दोलन शुरू कर दिया था। "क्रान्ति कोष" के लेखक श्री कृष्ण "सरल" ने राष्ट्रीय आन्दोलन का काल सन् 1757 से सन् 1961 तक माना है। सन् 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने हराकर भारत में ब्रिटिश राज्य की नींव रखी थी। सन् 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त करवाकर गोवा का विलय भारत में किया गया था। स्वतंत्रता आन्दोलन का काल खण्ड यही माना जाना चाहिए।[1,2,3]

स्वतंत्रता आन्दोलन में आदिवासियों की भूमिका समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। यह सच है कि आदिवासियों द्वारा चलाये गए आन्दोलन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय स्तर पर ही लड़े गये। पूरे भारत की स्वतंत्रता के लिए आदिवासियों ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़े। इसका प्रमुख कारण है आदिवासी कई उपजातियों और समूहों में बंटा हुआ था। आज भी बंटा हुआ है। भारत में 428 जनजातियाँ अधिसूचित हैं जबकि इनकी वास्तविक संख्या 642 है। जनसंख्या की दृष्टि से एशिया में सबसे ज्यादा आदिवासी भारत में निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत आदिवासी जातियां है। ये 19 राज्यों और 6 केन्द्र शासित राज्यों में फैले हुए हैं। गुजरात के डांग जिले से लेकर बंगाल के चौबीस परगना तक देश के 70 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं। पूर्वोत्तर के सात राज्यों- मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और त्रिपुरा में आदिवासियों का बाहुल्य है। यही कारण है कि पूर्वोत्तर के सीमावर्ती प्रदेश बिहार और झारखण्ड जनजाति आन्दोलन के प्रमुख केन्द्र रहे हैं। आदिवासी पूर्वोत्तर के सात राज्यों के अलावा झारखण्ड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में बसे हुए हैं।

मेघालय में 16 तरह की जनजातियां हैं और वे ईसाई धर्म को मानते हैं। त्रिपुरा में 19 जनजातियां हैं जो ईसाई, बौद्ध और हिन्दू धर्म को मानते हैं। छत्तीसगढ़ के विलासपुर संभाग में जेवरा गोंड के अलावा सरगुजिया, रतनपुरिया, मटकोड़वा, ध्रुव तथा राजगोंड में सगा समाज है। गोंड एक ही समाज होते हुए भी उनमें रोटी-बेटी का व्यवहार नहीं है। [5,7,8] इस तरह आदिवासी कई समूहों में बटे हुए हैं। इसलिए अपनी

स्वायत्तता की लड़ाई भी अलग-अलग लड़ी. फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को आधार आदिवासियों के इन्हीं आन्दोलनों ने दिया. भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन को खड़ा करने में आदिवासी आन्दोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

महात्मा गांधी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना चाहते थे. इसलिए उन्होंने कहा था अंग्रेज भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंप कर चले जाएं. महात्मा गांधी राजनैतिक सत्ता का हस्तान्तरण चाहते थे. उनका उद्देश्य राजनैतिक सत्ता प्राप्त करना था. सामाजिक आजादी की लड़ाई बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने लड़ी। डॉ. अम्बेडकर ने कहा सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है. राजनैतिक सत्ता प्राप्ति से पहले दलितों को सामाजिक समानता और स्वतंत्रता दी जाय. इसीलिए उन्होंने अछूतोद्धार आन्दोलन चलाया. आदिवासियों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी, जितनी सामाजिक और राजनैतिक स्वतंत्रता. साहूकार आदिवासियों का जमकर शोषण कर रहे थे. साहूकार से एक बार लिया हुआ कर्ज पीढ़ियों तक चुकता नहीं हो पाता था. अंततः साहूकार जमींदार की मदद से आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लेते थे. इसलिए आदिवासियों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी थी. यही कारण है कि आदिवासियों ने हर आन्दोलन में पूर्ण स्वायत्तता की मांग की थी.

महात्मा गांधी ने सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ आन्दोलन किया था. महात्मा गांधी ने राजा-महाराजाओं, सामंतों और जमींदारों के अन्याय और अत्याचारों की कभी खिलाफत नहीं की. उनके खिलाफ कभी नहीं बोले. वे उनके समर्थक बने रहे. साहूकारों के शोषण के संबंध में भी उनकी यही नीति रही. अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर सीधा शासन नहीं किया. उन्होंने राजा-महाराजाओं, सामंतों और जमींदारों के माध्यम से शासन चलाया. ब्रिटिश शासकों को कोई कानून भारतीय जनता पर लागू करवाना होता तो इन्हीं के मार्फत लागू करवाते थे. राजस्व वसूली भी राजा-महाराजाओं और जमींदारों के माध्यम से ही करते थे. इसलिए आदिवासियों की सीधी लड़ाई जमींदारों और सामंतों से होती थी. आदिवासी जब जमींदारों और राजा-महाराजाओं के नियंत्रण से बाहर हो जाते थे तब वे अंग्रेजी हुकूमत से मदद मांगते थे. उनकी मदद के लिए अंग्रेज अपनी सेना भेजते थे. ऐसी स्थिति में आदिवासियों को अंग्रेजी सेना और जमींदारों से सीधा मुकाबला करना पड़ता था. आदिवासी साहूकारों के भी खिलाफ थे. इसलिए साहूकार भी जमींदारों का साथ देते थे. ऐसी स्थिति में आदिवासियों को स्वायत्तता और स्वतंत्रता के हर आन्दोलन में अंग्रेजी हुकूमत के साथ-साथ सामंतों और साहूकारों से भी संघर्ष करना पड़ा था. आदिवासियों का आन्दोलन ज्यादा व्यापक था.

आदिवासियों को स्वतंत्रता आन्दोलनों की भारी कीमत चुकानी पड़ी. अंग्रेजों के पास भारी संख्या में सुसज्जित सेना थी. आधुनिक हथियार-बंदूकें, तोपें, गोला और बारूद था. सामंतों के पास प्रशिक्षित पुलिस फोर्स थी. साहूकारों के पास धन-दौलत की ताकत थी. इनके मुकाबले में आदिवासियों के पास युद्ध के परम्परागत साधन तीन-कमान, भाले, फरसे और गण्डासे थे. आदिवासी आर्थिक रूप से कमजोर थे. संसाधनों की कमी थी. इसलिए हर आन्दोलन में आदिवासियों को जान-माल की भारी क्षति उठानी पड़ी. सन् 1855 में संधाल (झारखण्ड) के आदिवासी वीर योद्धा सिद्धू और कान्हू का विद्रोह हुआ. इसमें 30-35 हजार आदिवासियों ने भाग लिया. आन्दोलन ने हिंसक रूप ले लिया. अनेक अंग्रेज सैनिक और अधिकारी मारे गए. [9,10,11] अंत में पूरे क्षेत्र को सेना के सुपुर्द कर दिया गया. मार्शल लॉ लागू कर दिया गया. देखते ही गोली मारने के आदेश सेना को दे दिए गए. कत्ले आम हुआ. इसमें 10 हजार आदिवासी मारे गये. रमणिका गुप्ता तथा माता प्रसाद ने इन आंकड़ों की पुष्टि की है. इसी तरह सन् 1913 में मानगढ़ में हुए आदिवासी आन्दोलन



में भी 1500 आदिवासी शहीद हुए थे. ये आंकड़े बताते हैं कि आदिवासी आन्दोलनों में लाखों आदिवासियों की जानें गईं.

भारत में सबसे पहले आदिवासियों ने स्वतंत्रता आन्दोलन सन् 1780 में संथाल परगना में प्रारम्भ किया. दो आदिवासी वीरों तिलका और मांझी ने आन्दोलन का नेतृत्व किया. यह आन्दोलन सन् 1790 तक चला. इसे 'दामिन विद्रोह' कहते हैं. तिलका और मांझी की गतिविधियों से अंग्रेजी सेना परेशान हो चुकी थी. इन्हें पकड़ने के लिए सेना भेजी गई. तिलका को इसकी भनक लग चुकी थी. यह देखने के लिए कि अंग्रेज सेना कहा तक पहुंची है, तिलका ताड़ के ऊँचे पेड़ पर चढ़ गया. संयोग से अंग्रेजी सेना पास की झाड़ियों में छुपी हुई थी. उसका नेतृत्व मि. क्लीवलैंड कर रहे थे. उसने तिलका को पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया था. वह घोड़े पर सवार होकर पेड़ के पास पहुंचा. सेना ने भी पेड़ के चारों तरफ घेरा डाल दिया था. क्लीवलैंड ने तिलका को ललकारा और पेड़ के नीचे उतर कर आत्म समर्पण के लिए कहा. तिलका ने क्लीवलैंड पर एक तीर चलाया जो उसकी छाती में जाकर लगा. क्लीवलैंड नीचे गिर पड़ा. छटपटाने लगा. सेना उसे संभालने के लिए भागी. इस बीच तिलका फुर्ती से पेड़ से नीचे उतरा और जंगल में गायब हो गया. अंग्रेजी सेना ने तिलका को पकड़ने के लिए छापामार युद्ध का सहारा किया. अंत में अंग्रेज सेना तिलका को गिरफ्तार करने में सफल हो गई. अपनी हानि और बदला लेने के लिए तिलका को अंग्रेजों ने पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी. अपने प्रदेश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए तिलका शहीद हो गया. तिलका स्वतंत्रता आन्दोलन का पहला शहीद माना जाना चाहिए. लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने सन् 1857 की क्रान्ति में शहीद हुए मंगल पाण्डे को स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद घोषित कर दिया. सच्चाई यह है कि मंगल पाण्डे से 70 साल पहले स्वतंत्रता आन्दोलन में तिलका शहीद हुआ था.[12,13,15]

भारत का सही इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया. सवर्ण इतिहासकारों ने जो भी लिखा वह पक्षपातपूर्ण और एक तरफा लिखा. विडम्बना है कि दलितों और आदिवासियों को सदैव इतिहास से बाहर रखा गया. उनके बड़े से बड़े त्याग, बलिदान और शौर्य गाथाओं का इतिहास में उल्लेख तक नहीं किया गया. सन् 1780 से सन् 1857 तक आदिवासियों ने अनेकों स्वतंत्रता आन्दोलन किए. सन् 1780 का "दामिन विद्रोह" जो तिलका मांझी ने चलाया, सन् 1855 का "सिंहू कान्हू विद्रोह", सन् 1828 से 1832 तक बुधू भगत द्वारा चलाया गया "लरका आन्दोलन" बहुत प्रसिद्ध आदिवासी आन्दोलन हैं. इतिहास में इन आन्दोलनों का कहीं जिक्र तक नहीं है. इसी तरह आदिवासी क्रान्तिवीरों जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए प्राण गंवाए उनका भी इतिहास में कहीं वर्णन नहीं है. छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह 1857 में शहीद हुआ. मध्य प्रदेश के नीमाड़ का पहला विद्रोही भील तांतिया उर्फ टंटिया मामा सन् 1888 में शहीद हुआ. इसी तरह आदिवासी युग पुरूष बिरसा मुण्डा सन् 1900 में शहीद हुआ. जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई. सन् 1913 में हुए मानगढ़ आन्दोलन के नायक गोविन्द गुरू का भी इतिहास में कहीं उल्लेख तक नहीं है. इतिहासकारों ने दलितों और आदिवासियों को इतिहास में कहीं स्थान नहीं दिया अलबता इनके इतिहास को विकृत और विलुप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाई. आदिवासी आन्दोलनकारियों की छवि खराब करने के लिए वीर नारायणसिंह, टंटिया मामा और बिरसा मुण्डा को डकैत और लुटेरा बताया, जबकि वे आदिवासियों में बहुत लोकप्रिय रहे हैं और स्वतंत्रता आन्दोलनों का सफल नेतृत्व किया है. इतिहासकारों ने अपने लेखन धर्म को निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं निभाया.[11,12]

इतिहास की सच्चाई यह है कि सन् 1780 से 1857 तक 77 वर्षों में आदिवासियों द्वारा किए गए स्वतंत्रता आन्दोलनों में लाखों आदिवासी मारे गये. दूसरी तरफ सन् 1857 से 1947 तक 90 वर्षों में गैर आदिवासियों द्वारा किए गए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलनों में एक हजार लोग भी नहीं मारे गये होंगे. अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय आन्दोलनों में सबसे बड़ा नरसंहार सन् 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड में हुआ था. उसमें 379 लोग शहीद हुए थे. इसके मुकाबले सन् 1855 में हुए सिहू और कान्हू विद्रोह में 10 हजार आदिवासी शहीद हुए थे. आदिवासियों के ऐसे अनेक आन्दोलन हुए हैं. यह अलग बात है कि इतिहासकारों ने इन आन्दोलनों का कहीं उल्लेख तक नहीं किया.

विचार-विमर्श

1913 में मानगढ़ में अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों की हत्या जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भयानक थी. मानगढ़ धाम राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों के लिए एक पवित्र स्थान है।

गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव और अगले साल के अंत में राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदिवासी बेल्ट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है

भारतीय इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम आंदोलन बताया है। लेकिन असल में 1857 से 100 साल पहले आदिवासियों ने आजादी के आंदोलन का बिगुल फूंक दिया था. "क्रान्ति कोष" के लेखक श्री कृष्ण "सरल" ने राष्ट्रीय आन्दोलन का काल 1757 से 1961 माना है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला को पराजित किया था। और बंगाल में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद गोवा का भारत में विलय कर दिया गया। इसे स्वतंत्रता आंदोलन का काल माना जाना चाहिए।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों की भूमिका

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में आदिवासियों की भूमिका को समझने के लिए इसकी प्रारम्भिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। यह सच है कि आदिवासियों द्वारा चलाए गए आन्दोलन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय स्तर पर लड़े गए। हालांकि भारत की आजादी के लिए आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ कभी कोई जंग नहीं लड़ी। तो इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि आदिवासी समुदाय कई उपजातियों और समूहों में बंटा हुआ था। यह आज भी बंटा हुआ है।

भारत में आदिवासियों की संख्या

क्या आप जानते हैं कि भारत में 428 अधिसूचित जनजातियाँ हैं जबकि उनकी वास्तविक संख्या 642 है। जनसंख्या की दृष्टि से एशिया की सबसे अधिक जनजातियाँ भारत में निवास करती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत आदिवासी जातियाँ हैं। ये 19 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं।[9,10]

गुजरात के डांग जिले से लेकर बंगाल के 24 परगना तक देश के 70 प्रतिशत आदिवासी निवास करते हैं। उत्तर-पूर्व के सात राज्यों – मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा – में बहुसंख्यक आदिवासी हैं। यही कारण है कि पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्य बिहार और झारखंड आदिवासियों के आंदोलन के प्रमुख

केंद्र रहे हैं। आदिवासी पूर्वोत्तर के सात राज्यों के अलावा झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बसे हुए हैं।

मेघालय में 16 तरह की जनजातियां हैं और ये ईसाई धर्म को मानती हैं। त्रिपुरा में 19 जनजातियां हैं जो ईसाई, बौद्ध और हिंदू धर्म का पालन करती हैं। छत्तीसगढ़ के विलासपुर संभाग में जेवरा गोंड के अलावा सरगुजिया, रतनपुरिया, मटकोडवा, ध्रुव और राजगोंड में घनिष्ठ समुदाय है। गोंड एक कौम होते हुए भी रोटी-बेटी का रिश्ता नहीं है।

इस तरह आदिवासी कई समूहों और समुदायों में बंटे हुए हैं। इसलिए उनकी स्वायत्तता की लड़ाई भी अलग से लड़ी गई। फिर भी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का आधार इन आदिवासी आंदोलनों ने दिया था। जनजातीय आंदोलनों ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महात्मा गांधी और अंबेडकर

महात्मा गांधी भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों को सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप देनी चाहिए और चले जाना चाहिए। महात्मा गांधी राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण चाहते थे। उनका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना था। इसके विपरीत बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया।

डॉ. अंबेडकर ने कहा कि सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने से पहले दलितों को सामाजिक समानता और स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने भारत में अस्पृश्यता आन्दोलन की शुरुआत की। आदिवासियों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी कि सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता।

मशरूम की तरह फैल रहे साहूकार आदिवासियों का जमकर शोषण कर रहे थे। एक बार साहूकार से लिया गया ऋण पीढ़ियों तक चुकाया नहीं जा सकता था। अंततः जमींदारों की मदद से साहूकारों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। इसलिए आदिवासियों के लिए सामाजिक और आर्थिक आजादी जरूरी थी। यही कारण है कि आदिवासियों ने हर आंदोलन में पूर्ण स्वायत्तता की मांग की थी।[5,7,8]

महात्मा गांधी ने केवल अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। महात्मा गांधी ने राजाओं, सम्राटों, सामंतों और जमींदारों के अन्याय और अत्याचार का कभी विरोध नहीं किया। उसके खिलाफ कभी नहीं बोले। वे अंत तक उनके समर्थक बने रहे।

साहूकारों द्वारा शोषण और अंग्रेजों की भूमिका

साहूकारों के शोषण के संबंध में भी उनकी यही नीति थी। अंग्रेजों ने सीधे भारतीय लोगों पर शासन नहीं किया। उसने राजाओं, सम्राटों, सामंतों और जमींदारों के माध्यम से शासन किया। यदि ब्रिटिश शासकों को भारतीय जनता पर कोई कानून लागू करना होता तो वे उन्हीं के माध्यम से इसे लागू करते। राजस्व वसूली भी राजा-महाराजाओं और जमींदारों के माध्यम से ही होती थी। इसलिए आदिवासियों का सीधा मुकाबला जमींदारों और सामंतों से था।

जब आदिवासी जमींदारों और राजाओं के नियंत्रण से बाहर हो जाते थे तो वे ब्रिटिश सरकार से मदद मांगते थे। अंग्रेज उनकी सहायता के लिए अपनी सेना भेजते थे। ऐसी स्थिति में आदिवासियों को अंग्रेजी सेना और जमींदारों से सीधा मुकाबला करना पड़ता था। आदिवासी भी साहूकारों के खिलाफ थे। इसलिए साहूकारों ने भी जमींदारों का साथ दिया। ऐसे में स्वायत्तता और स्वतंत्रता के हर आंदोलन में आदिवासियों को अंग्रेजी सरकार के साथ-साथ सामंतों और साहूकारों से भी संघर्ष करना पड़ा। आदिवासियों का आंदोलन अधिक व्यापक था।

आदिवासियों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है

स्वतंत्रता आंदोलनों की भारी कीमत आदिवासियों को चुकानी पड़ी। अंग्रेजों के पास बड़ी संख्या में सुसज्जित सेना थी। आधुनिक अस्त्र-शस्त्र-बंदूकें, तोपें, गोला-बारूद और बारूद थे। सामंतों के पास एक प्रशिक्षित पुलिस बल था। साहूकारों के पास धन का बल था। इनकी तुलना में आदिवासियों के पास युद्ध के पारंपरिक साधन थे- तीन धनुष, भाले, कुल्हाड़ी और गदा। आदिवासी आर्थिक रूप से कमजोर थे। संसाधनों की कमी थी। इसलिए हर आंदोलन में आदिवासियों को जान-माल की भारी हानि उठानी पड़ी।

वर्ष 1855 में संथाल (झारखंड) के आदिवासी वीर योद्धाओं सिद्धू और कान्हू का विद्रोह हुआ। इसमें 30-35 हजार आदिवासियों ने भाग लिया। आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। अनेक अंग्रेज सैनिक और अधिकारी मारे गए। अंत में पूरा इलाका सेना के हवाले कर दिया गया। मार्शल लॉ लागू किया गया। सेना को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। हत्या आम हो गई। इसमें 10 हजार आदिवासी मारे गए थे। रमणिका गुप्ता और माता प्रसाद ने इन आंकड़ों की पुष्टि की है।

इसी तरह 1913 में मनगढ़ में हुए आदिवासी आंदोलन में 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। ये आंकड़े बताते हैं कि लाखों आदिवासियों ने आदिवासी आंदोलनों में अपनी जान गंवाई।[3,2,7]

तिलका और मांझी का विद्रोह 1780 – 'दामिन विद्रोह'

आदिवासियों ने सबसे पहले भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 1780 में संथाल परगना में की थी। दो आदिवासी नायकों तिलका और मांझी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। यह आंदोलन 1790 तक चला। इसे 'दामिन विद्रोह' कहा जाता है। तिलका और मांझी की गतिविधियों से ब्रिटिश सेना परेशान थी। उन्हें पकड़ने के लिए सेना भेजी गई। इसकी भनक तिलका को लग चुकी थी।

तिलका यह देखने के लिए एक ऊंचे खजूर के पेड़ पर चढ़ गए कि ब्रिटिश सेना कितनी दूर तक पहुंच गई है। संयोगवश अंग्रेजी सेना पास की झाड़ियों में छिपी हुई थी। वह मिस्टर क्लीवलैंड के नेतृत्व में कर रहा था। उसने तिलका को पेड़ पर चढ़ते देखा था। वह घोड़े पर सवार होकर पेड़ के पास पहुंचा।

सेना ने पेड़ के चारों ओर घेराबंदी भी कर रखी थी। क्लीवलैंड ने तिलका को चुनौती दी और पेड़ के नीचे उतर गए और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। तिलका ने क्लीवलैंड पर तीर चलाया जो उनकी छाती में लगा। क्लीवलैंड नीचे गिर गया। सेना उसे संभालने के लिए दौड़ी। इसी बीच तिलका आनन-फानन में पेड़ से उतर गया और जंगल में गायब हो गया। तिलका को पकड़ने के लिए अंग्रेजी सेना ने छापामार युद्ध का सहारा लिया।



अंत में ब्रिटिश सेना तिलका को गिरफ्तार करने में सफल रही। तिलका को अपनी हार और प्रतिशोध का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने एक पेड़ से लटका दिया था। अपने राज्य की आजादी के लिए लड़ते हुए तिलका शहीद हो गए। तिलका को स्वतंत्रता आंदोलन का पहला शहीद माना जाना चाहिए। लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति में शहीद हुए मंगल पाण्डे को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद घोषित किया है। सच तो यह है कि तिलका मंगल पाण्डे से 70 साल पहले स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हो गए थे।

भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास केवल सवर्णों के लिए कैसे है?

भारत का सही इतिहास कभी नहीं लिखा गया। सवर्ण इतिहासकारों ने जो कुछ भी लिखा, वह पक्षपाती और एकतरफा था। विडंबना यह है कि दलितों और आदिवासियों को हमेशा इतिहास से बाहर रखा गया है। उनके सबसे बड़े बलिदान, बलिदान और शौर्य गाथाओं का इतिहास में जिक्र तक नहीं किया गया।

1780 से 1857 तक आदिवासियों ने कई स्वतंत्रता आंदोलन किए। तिलका मांझी द्वारा चलाया गया 1780 का "दामिन विद्रोह", 1855 का "सिंहू कान्हू विद्रोह", 1828 से 1832 तक बुधु भगत द्वारा चलाया गया "लरका आंदोलन" बहुत प्रसिद्ध जनजातीय आंदोलन हैं।

इतिहास में कहीं भी इन आंदोलनों का उल्लेख नहीं है। इसी तरह, अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले आदिवासी क्रांतिकारियों का कोई जिक्र नहीं है।

छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह 1857 में शहीद हुए थे। मध्यप्रदेश के निमाड़ के प्रथम विद्रोही भील टंटिया उर्फ टंटिया मामा 1888 में शहीद हुए थे। 1900. जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। 1913 के मानगढ़ आंदोलन के नायक गोविंद गुरु का इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं है।[11,12,13]

परिणाम

इतिहासकारों ने दलितों और आदिवासियों को इतिहास में कोई स्थान नहीं दिया, बल्कि उनके इतिहास को विकृत और नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीर नारायण सिंह, टंटिया मामा और बिरसा मुंडा को आदिवासी कार्यकर्ताओं की छवि खराब करने के लिए डकैत और लुटेरा बताया गया, जबकि वे आदिवासियों के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं और स्वतंत्रता आंदोलनों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। इतिहासकारों ने अपना लेखन कर्तव्य निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं निभाया।

इतिहास की सच्चाई यह है कि 1780 से 1857 तक के 77 सालों में आदिवासियों द्वारा चलाए गए आजादी के आंदोलनों में लाखों आदिवासी मारे गए। दूसरी ओर, 1857 से 1947 तक के 90 वर्षों में गैर-आदिवासियों द्वारा किए गए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों में एक हजार लोग भी नहीं मारे गए होंगे।

इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलनों में सबसे बड़ा नरसंहार 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। उसमें 379 लोग शहीद हुए थे। इसकी तुलना में 1855 में सिंहू और कान्हू के विद्रोह में 10,000 आदिवासी शहीद हुए थे। आदिवासियों के ऐसे कई आंदोलन हुए हैं। यह अलग बात है कि इतिहासकारों ने कहीं भी इन आंदोलनों का जिक्र तक नहीं किया है।



ऐसा करके इतिहासकारों ने भारत के समूचे इतिहास को संदेहास्पद और अविश्वसनीय बना दिया है। निःसंदेह स्वतंत्रता आन्दोलन में आदिवासियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आज सही इतिहास लेखन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले जनजातीय लोगों को समर्पित 'जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय' विकसित कर रहा है। ऐसा 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा के अनुपालन में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि सरकार की उन राज्यों में स्थायी संग्रहालय स्थापित करने की इच्छा है यहां जनजातीय लोग रहते थे और जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और उनके सामने झुकने से मना कर दिया था। सरकार विभिन्न राज्यों में इस तरह के संग्रहालयों के निर्माण का काम करेगी ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह पता चल सके कि बलिदान देने में हमारे आदिवासी कितने आगे थे।

प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार सभी संग्रहालयों में वर्चुअल रियल्टी (वीआर), ऑगमेंटेड रियल्टी (एआर), 3 डी / 7 डी होलोग्राफिक प्रोजेक्शनों जैसी प्रौद्योगिकियों का भरपूर उपयोग होगा।

ये संग्रहालय इतिहास की उन पगडंडियों का पता लगाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। इसलिए इनमें पुनरुद्धार पहलों तथा सभी प्रकार के संरक्षण का समावेश प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें प्रयोजनों के साथ-साथ विचारों का संग्रह भी होगा। इन संग्रहालयों में आदिवासी लोगों की जैविक और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण संबंधी चिंताओं की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष के तरीकों को प्रदर्शित किया जाएगा, क्योंकि उनसे राष्ट्र निर्माण में मदद मिली है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस बारे में राज्यों के साथ कई दौर की बातचीत की। जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की समिति (एनएलसी) का गठन किया गया था ताकि प्रगति की निगरानी समेत प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा सके और मंजूरी दी जा सके।

प्रस्तावित संग्रहालयों की अवधारणा और डिजाइन के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए राज्य सरकारों के साथ अनेक अवसरों पर बैठकों का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के अधिकारियों को 'विरासत-ए-खालसा' संग्रहालय, पंजाब और 'मानव संग्रहालय' भोपाल का दौरा करने का अवसर प्रदान किया गया ताकि उन्हें कथानक के अनुरूप संग्रहालय के डिजाइन और प्रौद्योगिकी के उपयोग से परिचित कराया जा सके। विस्तृत विश्लेषण के बाद गुजरात में राष्ट्रीय महत्व के एक अति आधुनिक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। मंत्रालय ने अभी तक 8 अन्य राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालयों को स्थापित करने की मंजूरी दी है।[15]

स्वीकृति दिए गए 9 स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालयों में से 2 संग्रहालयों का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है और शेष बचे 7 संग्रहालय कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। अनुमान है कि 2022 के अंत तक सभी संग्रहालय अस्तित्व में आ जाएंगे। इसके अलावा राज्यों के सहयोग से आने वाले दिनों में और नए संग्रहालयों को भी मंजूरी दी जाएगी।

भारत में स्वतंत्रता सेनानियों ने असमान लड़ाइयों के अनेक उदाहरणों को दर्ज किया है क्योंकि ये उस समय अपरिहार्य हो गए थे जब साम्राज्यवादी ताकतें अत्याचारी ताकत के बल पर विभिन्न इलाकों पर कब्जा करने के लिए बाहर निकल पड़ी थी। इन ताकतों ने स्वतंत्र लोगों की स्वतंत्रता और संप्रभुता को नष्ट करके असंख्य



पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन का सर्वनाश करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। यह विस्तारवाद के बुरे डिजाइन और आत्म प्रस्तुति की शक्तिशाली भावना के बीच एक युद्ध था। जनजातीय लोगों ने ब्रिटिश प्राधिकारियों और अन्य शोषकों का पुरजोर विरोध किया। अनेक शताब्दियों तक जनजातीय लोगों को वनों में अलग-थलग कर दिया गया और उधर-उधर बिखेर दिया गया लेकिन प्रत्येक जनजाति ने अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता को कायम रखा। उन्होंने अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में ब्रिटिश प्राधिकारियों के खिलाफ आंदोलन चलाए। बाहरी लोगों के खिलाफ उनके आंदोलनों को उपनिवेशवाद का विरोधी कहा जा सकता है। अपनी भूमि पर अतिक्रमण, जमीन की बेदखली, पारंपरिक कानूनी और सामाजिक अधिकार और रीति-रिवाजों का उन्मूलन, भूमि के हस्तांतरण के लिए किराये में बढ़ोतरी, सामंती और अर्द्ध सामंती मालिकाना हक की समाप्ति के खिलाफ उन्होंने बगावत की। कुल मिलाकर यह आंदोलन सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन थे लेकिन इन्हें इनके अस्तित्व से संबंधित मुद्दों के विरुद्ध काम करने के लिए कहा गया। जनजातीय प्रतिरोध आंदोलन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न अंग था। इस ऐतिहासिक आंदोलन में बिरसामुंडा, रानी गैदिन्ल्यू, लक्ष्मणनायक और वीर सुरेंद्रसाई जैसे प्रतिष्ठित आदिवासी नेताओं तथा अन्य लोगों ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई।

जनजातीय प्रतिरोध आंदोलन की सबसे बड़ी और प्रमुख विशेषता यह थी कि यह विदेशी शासकों के विरुद्ध अनिवार्य रूप से एक विद्रोह था और इस नजरिये से इससे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के अग्रदूत का निर्माण किया जा सकता था। जिसने एक निश्चित आकार लिया और महात्मा गांधी के प्रेरक नेतृत्व में तेज गति प्राप्त की। यह सारहीन है कि उनके प्रतिरोध आंदोलन के पीछे क्या मजबूरियां या प्रेरणाएं थीं, यह भी सारहीन है कि इन जनजातीय क्रांतिकारियों के पास सशस्त्र विद्रोह करने के लिए कोई औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण भी नहीं था और न ही उनके पास कार्रवाई करने के लिए मार्गदर्शन और उन्हें प्रेरित करने के लिए कोई आम नेतृत्व भी नहीं था लेकिन इस तथ्य में कोई गलती नहीं है कि उन्होंने विदेशी शासकों को अपने निवास स्थान, सदियों पुराने रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक, रस्मों में कोई हस्तक्षेप करने के लिए दबबूपन दिखाकर समर्पण नहीं किया। उन्होंने शाही ताकत के धुरंधरों के रूप में काम किया और उनके सभी कार्य और आचरण विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए निर्देशित थे।[13,15]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. "Memoirs of the revolution in Bengal, anno Dom. 1757 :". Library of Congress, Washington, D.C. 20540 USA. अभिगमन तिथि 2022-10-02.
2. ↑ Bhattacherje, S. B. (2009-05-01). Encyclopaedia of Indian Events & Dates (अंग्रेज़ी में). Sterling Publishers Pvt. Ltd. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-207-4074-7.
3. ↑ Ghosh, Jamini Mohan (1930). Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal; compiled mainly from official records. Bengal Secretariat Book Depot (Calcutta).
4. ↑ Chatterjee, Gouripada (1986). Midnapore, the Forerunner of India's Freedom Struggle (अंग्रेज़ी में). Mittal Publications.
5. ↑ "An Account Of the Mutiny at Vellore, by the Lady of Sir John Fancourt, the Commandant, who was killed there July 9th, 1806". web.archive.org. 2013-11-05. मूल से पुरालेखित 5 नवंबर 2013. अभिगमन तिथि 2022-10-02.
6. ↑ "Bhil Uprising". INSIGHTSIAS (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-10-02.
7. ↑ Orans, Martin (1969-05). "The Bhumij Revolt (1832–33): (Ganga Narain's Hangama or Turmoil). By Jagdish Chandra Jha. Delhi: Munshiram Manoharlal, 1967. xii, 208 pp. Map,



Glossary, Bibliography, Index, Errata". The Journal of Asian Studies (अंग्रेज़ी में). 28 (3): 630–631. आईएसएन 1752-0401. डीओआइ:10.2307/2943210. |date= में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)

8. ↑ Srikrishan 'Sarala' (1999-01-01). Indian Revolutionaries 1757-1961 (Vol-1): A Comprehensive Study, 1757-1961: A Comprehensive Study, 1757-1961 (अंग्रेज़ी में). Prabhat Prakashan. आईएसबीएन 978-81-87100-16-4.
9. ↑ Gott, Richard (2022-01-04). Britain's Empire: Resistance, Repression and Revolt (अंग्रेज़ी में). Verso Books. आईएसबीएन 978-1-83976-422-6.
10. ↑ Xalxo, Abha (2008). "THE GREAT SANTAL INSURRECTION (HUL) OF 1855-56". Proceedings of the Indian History Congress. 69: 732–755. आईएसएन 2249-1937.
11. ↑ Kling, Blair B. (2016-11-11). The Blue Mutiny: The Indigo Disturbances in Bengal, 1859-1862 (अंग्रेज़ी में). University of Pennsylvania Press. आईएसबीएन 978-1-5128-0350-1.
12. ↑ Saldi, Tara Singh Anjan/Rattan. SATGURU RAM SINGH AND KUKA MOVEMENT (अंग्रेज़ी में). Publications Division Ministry of Information & Broadcasting. आईएसबीएन 978-81-230-2258-1.
13. ↑ "VASUDEO BALWANT PHADKE". www.indianpost.com. अभिगमन तिथि 2022-10-02.
14. ↑ "Partition of Bengal, 1905 - Banglapedia". en.banglapedia.org. अभिगमन तिथि 2022-10-02.
15. ↑ "Rashbehari Bose: The revolutionary and the statesman". www.dailyo.in (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-10-02.



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |

www.ijarasem.com